R.M.M. Law College, Saharsa
Nareshji Anand
LL.B. Part IInd
Paper- VIth
Environmental Law

वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981

वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण 1981 अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में अत्यंत संवैधानिक महत्व का विधान है। जल अधिनियम से भिन्न वायु अधिनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लिये गये निर्णयों को लागू करने हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत पारित किया गया है।

सन 1970 में केन्द्रीय सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति देश में वायु प्रदूषण की समस्या पर रिपोर्ट करने तथा उसके सम्बन्ध में उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए गठित किया। विशेषज्ञ समिति की एक प्रमुख संस्तुति वायु प्रदूषण पर विधि अधिनियमित करनी थी। समिति ने इस आशय हेतु पर्यावरण विधि का एक प्रारूप भी सौंपा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की प्रमुख भूमिका उसके प्रारूप पर आधारित है। परन्तु विधायिका प्रक्रिया के

दौरान अन्तर्राष्ट्रीय प्रयत्नों के कारण पर्याप्त संबोधन करने पड़े। इस अधिनियम के पारित होने के पीछे मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 की प्रमुख भूमिका रही। अधिनियम की प्रस्तावना में यह स्वीकार किया गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु सार्थक कदम उठाना है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में वायु की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण का नियंत्रण भी सम्मिलित है।

वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981, 29 मार्च 1981 को पारित किया गया। यह एक विशेषीकृत, विधायी प्रयास है, जिसके माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण के एक पहलू- वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। अधिनियम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(i) वायु प्रदूषण के निवारण और उपशमन के लिए उपबन्ध बनाना।
(ii) उपरोक्त उद्देश्यों को लागू करने के लिए केन्द्रीय और राज्य बोर्डों की स्थापना।
(iii) ऐसे बोर्डों को शक्ति प्रदान करना तथा उनके कार्यों का निर्धारण करना
(iv) उपरोक्त से सम्बन्धित विषयों के बारे में उपबन्ध बनाना।

वायु अधिनियम के उद्देश्य और कारण में निम्नलिखित उद्देश्य बताये गए हैं।

(i) औद्योगिकरण की वृद्धि और बहुतायत उद्योगों की मूर्व से, अत्यधिक औद्योगिकृत क्षेत्रों में एकत्रित होने की प्रवृत्ति के कारण देश में वायु प्रदूषण की समस्या महसूस की जाने लगी है। यह समस्या घनी आबादी वाले अति औद्योगिकृत क्षेत्रों में ज्यादा गंभीर है। इस बात की पुष्टि हुई है कि कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली आदि शहर अत्यधिक गति से बढ़ते वायु प्रदूषण के प्रभाव का सामना कर रहे हैं।

(ii) वायु में कतिपय सीमा से ज्यादा औद्योगिक उत्सर्जनों और यातायात, तापवृद्धि, घरेलू ईंधन प्रयोग, कूड़ा-करकटों के जलाने से विभिन्न प्रदूषकों की हवा में उपस्थिति का लोगों के स्वास्थ्य और पशुजीवन, साग-सब्जी और सम्पत्ति के ऊपर हानिकारक प्रभाव डाल रहा है।

(iii) संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 में स्टॉकहोम में सम्पन्न हुआ था। इसमें प्राकृतिक संसाधनों जिसमें वायु की गुणवत्ता का परीक्षण एवं प्रदूषण का नियंत्रण सम्मिलित है। सरकार ने वायु गुणवत्ता परीक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित पूर्वोक्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने का निर्णय लिया है।

(iv) यह महसूस किया गया है कि प्रदूषण से सम्बन्धित पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण होना चाहिए। इस हेतु यह प्रस्ताव किया जाता है कि जल

अधिनियम 1974 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय बोर्ड वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए अपेक्षित केन्द्रीय बोर्ड तथा संघशासित राज्यों के लिए राज्य बोर्ड का कार्य करेगा। यह भी प्रस्तावित किया जाता है कि जल अधिनियम के अंतर्गत गठित राज्य बोर्ड वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एवं उपशमन के सम्बन्ध में राज्य बोर्ड के रूपों को समायोजित करेगा। परन्तु जिन राज्यों में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए राज्य बोर्ड गठित नहीं हुआ है वहाँ पर प्रस्तावित है कि वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए अलग से राज्य बोर्ड गठित किया जाय।

वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण विधेयक पर राष्ट्रपति का 29 मार्च 1981 को अनुमोदन प्राप्त हुआ और 16 मई 1981 से यह प्रवृत्त हुआ।

संशोधन अधिनियम

वायु अधिनियम 1987 में एक्ट संख्या 47/1987 द्वारा संशोधित किया गया। इस संशोधन के साथ वायु अधिनियम की कई मुख्य विशेषतायें हैं—

(i) अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वह किसी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करे। वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के बाहर स्थित प्रदूषकों को राज्य बोर्ड द्वारा अभियोजित नहीं किया जा सकेगा लेकिन वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में स्थित

सभी औद्योगिक संचालकों को राज्य बोर्ड से अनुमति आदेश लेना होगा।
(ii) अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है कि वह प्रदूषक को उत्सर्जन छोड़ने से रोके और केन्द्र/राज्य बोर्डों को उद्योगों को निदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुपालन न करने पर कोई उद्योग को बन्द करा सकता है या विद्युत एवं जल की आपूर्ति बन्द करा सकता है।
(iii) शास्तियों में वृद्धि की गई है जिससे कि प्रदूषक के लिए अनुपालन न करना महँगा हो।
(iv) नागरिक केवल उद्योगों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम को लागू करने के लिए ही मुकदमा नहीं कर सकते हैं बल्कि नागरिकों का मामला बनने के लिए बोर्ड से उत्सर्जन डाटा की अपेक्षा कर सकते हैं।